

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्रतिवादीगण



पुत्र बाबुलाल
-नावां, तहसील-नावां

बनाम

छोटूराम पुत्र घीसाराम मेघवाल
निवासी-गोविन्दी तहसील-नावां

करण : 88, 53, 188 आरटीएक्ट

संख्या : 269/ 2025

	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
025	<p>वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ने यह वाद पत्र अधीन धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के तहत पेश किया है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाता है। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब हो। मिसल दिनांक : 28.11.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी, नावां </p> <p>28/11/25 पत्रावली पेश हुई मार एसोशियेशन ने कन्डोलेंस का निवेदन किया। पत्रावली इन्तवा होकर दिनांक 20/11/25 को पेश हो।</p> <p>20/1/26 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.पीठासीन अधिवक्ता के माध्यम से राजकीय कार्य से बाहर बंधाये जाने वाली दिनांक 23/3/26 को पेश हो।</p> <p>23/3/26</p> <p>16/4/26</p> <p>प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र प्रकरण हाजा वादपत्र को आज पेशी पर लिया जाकर जरिये विज्ञॉल खारिज किये जाने के संबंध में पेश किया। पत्रावली तलब की गई। पत्रावली वर्तमान में अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की तलबी स्तर पर लम्बित चल रहा है। तथा वाद पत्र को आगे नहीं चलाने बाबत एवं आज पेशी पर लिया जाकर जरिये विज्ञॉल खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।</p> <p>अतः वादी पक्षकार वाद पत्र हाजा को आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः वाद पत्र अधीन धारा 88, 53, 188 आरटीएक्ट 1955 जरिये विज्ञॉल खारिज किया जाता है। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी नावां </p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।</p>

जमीन्द
Iv.
12